न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
ओमप्रकाश रैगर (आरटीएस)

मि.न. 17 / 2021 दिनांक 23.02.2021

सरकार बनाम गुल्लाराम

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चिमनपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम चिमनपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 564 / 0.23है0 किस्म बारानी–2 पर गुल्लाराम पुत्र कालूराम जाति गुर्जर निवासी चिमनपुरा ने सरसों कास्त कर अतिक्रमण कर लिया हैं।

अतः रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये। सूचना के उपरान्त गैर सायल उपस्थित आया परन्तु जबाब पेश नहीं किया ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया जिसके आधार पर गैर सायल को अनुतोष दिया जा सके। हमने पटवारी रिपोर्ट , पत्रावली में संलग्न दस्तवेजों पर गोर किया तो विवेचन में पाया कि गैर सायल का उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण किया जाना स्वतः ही सिद्व होता है अतः अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी ।

अतः गैर सायल गुल्लाराम पुत्र कालूराम जाति गुर्जर निवासी चिमनपुरा तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम चिमनपुरा के ख0 न0 564 / 0.23है0 किस्म बारानी –2 पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजीयात पर बोई गई सरसों की फसल को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बैदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 9.20 रू. का पचास गुणा 460 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते निलामी, बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 23.2.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

वर्ष 20-21 ...
पृष्ठ संख्या 32. पर 460/2
... दर्ज किये गये।

नाजर लेखा ...
कोटपूतली